फर्द अहकाम

भगवान जयद बनाम [illegible] व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 116/2024 प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC

ांक ा या र्वाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
..10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC पर बहस की। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु अवसर चाहा। वकील अप्रार्थी ने दस्तावेज व न्यायिक दृष्टांत पेश किये। बहस वकील अप्रार्थी सुनी गई। पत्रावली वास्ते बहस वकील प्रार्थी बाबत दिनांक 31/10/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
31/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ बाबत दिनांक 14/11/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
14/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रार्थना पत्र 09 R 13 CPC सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल मिसल हो। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नेवा से कम हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर , राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या :– 116 / 2024

उनवान

1. भगवान सहाय पुत्र रामलाल
2. उम्मेद सिंह पुत्र रामलाल
3. सुन्दरी देवी पत्नि रामलाल उर्फ रामू यादव

समस्त जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. नीरा सुरेश भार्गव पत्नि सुरेश भार्गव, जाति भार्गव, निवासी जी–24, सिद्धार्थ एन्क्लेव नई दिल्ली हालवासी मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय उपतहसील मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

4. उदयचन्द पुत्र त्रिलोकचन्द
5. मदनलाल पुत्र त्रिलोकचन्द
6. रामेश्वर पुत्र त्रिलोकचन्द
7. गीता देवी पुत्री रामलाल
8. राधा देवी पुत्री रामलाल
9. रूकमा देवी पुत्री रामलाल
10. चन्दी देवी पुत्री रामलाल
11. पूरणमल पुत्र बोदूराम
12. मंगलचन्द पुत्र बोदूराम
13. जगदीश प्रसाद पुत्र बोदूराम
14. हनुमान सहाय पुत्र बोदूराम
15. गिरधारी लाल पुत्र बोदूराम

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

16. गुलाब देवी पुत्री बोदूराम

17. कमली देवी पुत्री बोदूराम

18. गणपति देवी पत्नि बोदूराम

समस्त जाति अहीर निवासी कल्याणपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

19. कानाराम पुत्र रामलाल

20. यूको बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

उपस्थिति अधिवक्तागण :–

1. श्री दीपक शर्मा,प्रार्थी की ओर से
2. श्री झाबरमल यादव,अप्रार्थीगण की ओर से

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा – 151 जाप्ता दीवानी बाबत् निरस्त किये जाने एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2024 तथा अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 15.05.2024 व निरस्त किये जाने एकपक्षीय कार्यवाही अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7, 13 व धारा 151 सीपीसी उनवानी प्रकरण नीरा सुरेश भार्गव बनाम उदयचन्द वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर मुकदमा नंबर 35/2024

निर्णय दिनांक :– 14/11/2025

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संक्षेप में इस प्रकार है किअप्रार्थी सं0–1 ने न्यायालय सहायक कलेक्टर–शाहपुरा, जिला जयपुर के समक्ष एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि "हाल आराजी खाता सं०– 2103 रकबा 0.4951 कुल किता–1 कुल रकबा 0. 4951 है0 वाकै ग्राम कल्याणपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी जमाबन्दी में दर्ज अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है खातेदार बोदूराम पुत्र गोपी फौत हो चुका है जिसके प्रतिवादी स0–12 लगायत 19 विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है। वाद पत्र के जिमन न0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा में वादी व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 19 राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादी स0–1 लगायत 19 के मध्य कानूनी बटवारा नहीं हुआ है। उक्त भूमि का कानूनी बटवारा नहीं होने से प्रतिवादी सं0–1 लगायत 19 के मन आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग व उपजाउ भाग को लेकर दुर्भावना आ गई है और वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बटवारा करवाये ही विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी लठैत व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी स0–20 के कार्यालय में अन्तरण डीड पंजीबद्ध कराने तथा प्रतिवादी स0–21 से आराजी मुतनाजा के राजस्व

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

रिकार्ड में परिवर्तन कराने पर आमादा है जबकि प्रतिवादी सं0–1 लगायत 19 को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी सं0–1 लगायत 19 का ऐसा करना गलत एव गैरकानूनी है। अर्सा–5 दिन पूर्व वादी अपनी आराजी मुतनाजा की देखरेख कर रहा था तब प्रतिवादी सं0–1 लगायत 17 आराजी मुतनाजा पर 5–7 अजनबी व्यक्तियो को लेकर आये ओर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग की नाप जोख करने लगे तब वादी ने उनसे नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादी सं0–1 लगायत 19 वादी से नाराज हो गये तथा आवेश में आकर वादी को एलानिया धमकी दी है कि वह आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को अजनबी व्यक्तियो को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण करवाकर आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिर्तन करवाकर रहेगे तथा अजनबी व्यक्ति का वादी को जबरन बेदखल कर आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करवाकर रहेगे। प्रतिवादी स0–1 लगायत 19 अपने अवैध मन्सूबो में सफल हो गया और उन्होने आराजी मुतनाजा का बिना बटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग का बेचान अजनबी व्यक्तियो को कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पजीबद्ध करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीगण को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवा देगे तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में सभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादी को यह वाद प्रतिवादी सं0–1 लगायत 19 के विरूद्ध आराजी का बंटवारा करवाने व उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा वाद पत्र के जिमन नं0–1 लगायत 4 में वर्णित प्रकार से आराजी मुतनाजा का सहखातेदारी की भूमि होना एवं शामिल में काश्त करना एव प्रतिवादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को अजनबी व्यक्ति को बेचान करने के लिए नाप जोख करना एव वादी द्वारा पूछने पर वादी को आराजी मुतनाजा का बिना बटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पजीबद्ध कराने तथा वादी को जबरन बेदखल कर आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा कराने की धमकी दिये जाने से पेदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है। वादी प्रश्नगत आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से बटवारा करवाने का पूर्ण अधिकारी है। प्रतिवादी सं0–20 लगायत 21 लोक सेवक है जिन्हे कानूनी एतराज पूर्ति हेतु पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जिनके विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व धारा–80 (1) सीपीसी के तहत दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत मामला अत्यावश्यक शीध्र प्रकृति का होने

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

के कारण उन्हे उक्त्त विधिक नोटिस दिया जाना सभव नहीं रहा है इसलिए वादी ने अलग से प्रार्थना पत्र 80 (2) सीपीसी का पेशकर माननीय न्यायालय से उक्त विधिक नोटिस दिये जाने से छुट एव दावा दायर करने की अनुमति प्राप्त कर ली है। खातेदार बोदूराम पुत्र गोपी फौत हो चुका है जिसके प्रतिवादी सं0–12 लगायत 19 वारिस व उत्तराधिकारी है तथा प्रतिवादी सं0–22 के यहा खातेदारान ने अपनी कृषि भूमि रहन रख रखी है इस कारण उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। आराजी मुतनाजा एवं पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद पत्र ग्रहण, श्रवण व निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को हासिल है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की तृतीय अनूसूची में निर्धारित कोर्ट फीस दावा बाबत बटवारा एक रूपये तथा स्थायी निषेधाज्ञा एक रूपये कुल दो रूपये कोर्ट फीस पर प्रस्तुत वाद पत्र पेश है। अतः वादी की ओर से वाद पत्र दो प्रतियो में मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एक निर्णय मय डिकी वाद बहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे कि हाल आराजी खाता स०– 2103 रकबा 0.4951 कुल किता–1 कुल रकबा 0.4951 है० वाकै ग्राम कल्याणपुरा, तह० शाहपुरा जिला जयपुर का वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व बोर्ड की नियमानुसार के अनुसार सरस नरस (बाई मिटस एण्ड बाउण्ड) के आधार पर कानूनी बंटवारा किये जाने की आज्ञा प्रदान करे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक पृथक लगान का निर्धारण किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव सदैव के लिये इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन न0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा में वादी के हिस्से में आई भूमि में किसी प्रकार की बैजा मदाखलत पैदा नहीं करे, ऐसा न तो वे स्वय करे न ही वे अपने नौकर, सर्वेन्ट, स्थानापन्नो उत्तराधिकारीयो से करावे वादी को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे।

उक्त प्रकरण के समन / नोटिस प्रार्थीगण के पास तामिल कुनिन्दा कभी भी नहीं लेकर आया और प्रार्थीगण की फर्जी कुटरचित तामील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई इस पर न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनाक–25.04.2024 तथा अंतिम डिकी व निर्णय दिनाक 15.05.2024 पारित किया गया है उक्त निर्णय व डिकी से व्यक्ति होकर प्रार्थीगण द्वारा निम्न सुदृढ आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है :–

1. यहकि उक्त निर्णय व डिकी दिनाक–25.04.2024 व 15.05.2024 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि उक्त निर्णय व डिकी मौका स्थिति के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

3. यहकि उक्त प्रकरण के वाद पत्र के समन / नोटिस प्रार्थीगण के पास नहीं आये है न ही तामिल कुनिन्दा व अन्य कोई न्यायालय का कर्मचारी प्रार्थीगण के पास नोटिस लेकर आया है तामिल कुनिन्दा ने वादी/अप्रार्थी सं0–1 से मिली भगत कर नोटिस पर फर्जी व कूटरचित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसलिए उक्त निर्णय व डिकी अपास्त किये जाने योग्य है।

4. यहकि उक्त प्रकरण की पत्रावली के सलग्न समन में से उम्मेद व भगवान सहाय के समन पर खुद को नोटिस देने का अकन किया जाकर उनके हस्ताक्षर होना जाहिर किया गया है जबकि उक्त हस्ताक्षर भगवान सहाय व उम्मेद के नहीं है। प्रार्थी उम्मेद राजकीय सेवा में दिल्ली में कार्यरत है तामिल कुनिन्दा ने किस तारीख को नोटिस की तामील करवाई इसका अकन अपनी रिपोर्ट नहीं किया है इससे साफ जाहिर है कि तामील कुनिन्दा ने समन पर फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर सम्मन न्यायालय में दिये है।

5. यहकि प्रार्थीगण की बहिन राधा देवी, रूकमा देवी, चन्दी देवी, गीता देवी शादीशुदा है तथा अपने ससुराल में रहती है उनके समन पर तामिल कुनिन्दा द्वारा भाई रामेश्वर को नोटिस देने का अंकन किया है जबकि रामेश्वर नाम का प्रार्थीगण का कोई भाई नहीं है। सुन्दरी देवी पत्नि रामलाल के समन पर भी रामेश्वर भाई को नोटिस देने का अंकन है जबकि सुन्दरी देवी का भाई रामेश्वर कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध समन / नोटिस से साफ जाहिर है कि तामील कुनिन्दा ने वादी/अप्रार्थी स0–1 से मिलीभगत कर उक्त समनो पर झूठी व फर्जी रिपोर्ट करवाई है इसलिये उक्त निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यहकि प्रार्थीगण की उक्त प्रकरण में तामील फर्जी व कूटरचित तरीके से हुई है तथा समन की सम्यक रूप से तामील नहीं होने से उक्त निर्णय व डिकी निरस्त किये जाने योग्य है।

7. यहकि उक्त निर्णय व डिकी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्यहै।

8. यहकि उक्त प्रकरण का निर्णय व डिकी एक पक्षीय होने से प्रार्थीगण के हितो पर विपरीत प्रभाव पडा है यदि उक्त निर्णय व डिकी को अपास्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में सभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी।

9. यहकि उक्त एक पक्षीय निर्णय व डिकी को अपास्त किये जाने के प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है।

10. यहकि उक्त निर्णय व डिकी की जानकारी प्रार्थी भगवान सहाय द्वारा दिनाक–24 09 2024 को इन्टरनेट से जमाबन्दी प्राप्त करने पर हुई है इस पर प्रार्थी भगवान द्वारा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

अपने अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा से विधिक राय प्राप्त की व दिनांक 24.09.2024 को ही अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय श्रीमान् से पत्रावली की नकल प्राप्त कर आज बिना किसी देरी के उक्त प्रार्थना पत्र एक पक्षीय डिक्री व निर्णय को अपास्त किये जाने बाबत प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र पेशकर निवेदन है कि उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2024 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2024 को अपास्त फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये।अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री झाबर सिंह यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रकरण में दिनांक 19.02.2025 को अप्रार्थी संख्या 19 स्वयं उपस्थित आये एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये एवं अप्रार्थी संख्या 20 की ओर से अधिवक्ता श्री बालगोविन्द सोनी ने अण्डरटेकिंग दी। प्रकरण में दिनांक 19.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 18 बाद तामील एवं सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं अप्रार्थी संख्या 20 की ओर से पूर्व में अण्डरटेकिंग दिये जाने उपरांत वकालतनामा व जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किये जाने से अण्डरटेकिंग खारिज की गई एवं अप्रार्थी संख्या 19 पूर्व में उपस्थित आने के उपरांत लगातार अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 19 व 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र पेश किया। मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र का जवाब भिजवाया गया। प्रकरण में दिनांक 15.10.2025 को वकील अप्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र के खारिज होने की प्रतिलिपि पेश की। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपने प्रार्थना–पत्र की ताईद की एवं उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2024 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2024 को अपास्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय श्रीमान् ने विधिक रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है जिसको अपास्त करवाने का प्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है यदि प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान के आदेश से व्यथित भी है तो उन्हें निर्णय व डिक्री की अपील प्रस्तुत करना चाहिए। तामिल कुनिन्दा या न्यायालय कर्मचारी राजकीय व्यक्ति है जो विधि अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते है तामिल कुनिन्दा की प्रार्थीगण से कोई द्वेषता या दुश्मनी नहीं है कि वह जानबूझकर प्रार्थी की फर्जी तामिल करवाये। तामिल कुनिन्दा ने विधि अनुसार सम्यक रूप से प्रार्थीगण की तामील करवायी जिसके

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

बाद प्रार्थीगण जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं आये जिसके बाद न्यायालय श्रीमान् ने विधि अनुसार डिकी पारित किया है एवं काबिज काश्त अनुसार वाद डिकी किया है जिससे प्रार्थीगण के हित भी विपरीत रूप से प्रभावित नहीं हुये है। प्रार्थीगण पर सम्मन की तामील जरिये तामील कुनिन्दा सम्यक रूप से की गई है प्रकरण में अन्य वादीगण भी प्रार्थीगण के परिवारजन ही है तामिल कुनिन्दा सम्मन लेकर प्रार्थीगण के निवास पर गया है एवं जो स्वयं हाजिर रहे उनकी तामिल खुद पर करवायी है अन्य प्रतिवादीगण के सम्मन उनके परिजनों को दिया गया है प्रार्थीगण को उक्त वाद विचाराधीन होने की जानकारी रही है। प्रार्थीगण जानबूझकर प्रकरण में हाजिर नहीं आये। तामिल कुनिन्दा प्रार्थीगण के निवास स्थान पर तामिल करवाने गया था एवं जो मौके पर हाजिर मिले उनको नोटिस स्वयं को दिया गया था बाकी तामील उनके परिजनों पर करवायी गयी है तामिल कुनिन्दा ने विधि अनुसार सम्यक तामील करवाकर नोटिस न्यायाल में प्रस्तुत किया है जिसको न्यायालय श्रीमान् ने भी सम्यक रूप से तामिल मानी है। तामिल कुनिन्दा राजकीय व्यक्ति है एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके विधि अनुसार तामील करवायी है। प्रकरण की प्रार्थीगण को को शुरू से ही जानकारी रही है प्रार्थीगण ने झूठे तथ्यों पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र संबंधित कानून की पूर्ति नहीं करता है जिसके कारण खारिज किये जाने योग्य है। यदि प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान् के आदेश से व्यथित भी है तो विधि अनुसार प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। एक प्रकरण को बार–बार सुनवाई करके न्याय प्राप्ति को अन्तहीन बनाने की किसी भी पक्षकार को अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं है न्यायालय श्रीमान का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित नहीं है। प्रश्नगत भूमि कि वर्तमान किस्म वाणिज्यिक है, जिसके कारण भी न्यायालय श्रीमान को सुनवाई का अधिकार नहीं है। न्यायालय श्रीमान् ने कब्जा काश्त अनुसार भूमि का विधिक बंटवारा किया है एवं प्रार्थीगण की भूमि एकजाही विधिक बंटवारे में दी गयी है एवं माननीय न्यायालय ने विधि अनुसार डिकी पारित की है जिसके कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र में कही भी अंकित नहीं किया कि न्यायालय श्रीमान का आदेश किस प्रकार से मौका स्थिति के विपरित एवं न्यायालय के आदेश से प्रार्थीगण किस प्रकार व्यथित है, मात्र वेग तथ्यों पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो कि विधि अनुसार खारिज किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के समर्थन में दस्तावेज हाल खसरा नंबर 5094 / 5087 की जमाबंदी व विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की एवं न्यायिक दृष्टान्त RLW 2016(2) Rev. Page 887, RLW 2011 (1) RJ Page 305, 2021 (2) 1121, RLW 2014(2) RJ 1209 पेश किये।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। मूल मिसल तलब की गई। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 28.03.2024 को प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये एवं तामील कुनिन्दा द्वारा दिनांक 24.04.2024 को नोटिस तामील करवाकर पेश किये। वकील प्रार्थी ने मुख्य रूप से अपने प्रार्थना-पत्र में इंगित किया है कि "पत्रावली के संलग्न सम्मन में उम्मेद व भगवान सहाय के समन पर खुद को नोटिस देने का अंकन किया जाकर उनके हस्ताक्षर होना जाहिर किया गया है जबकि उक्त हस्ताक्षर भगवान सहाय व उम्मेद के नहीं है। प्रार्थी उम्मेद राजकीय सेवा में दिल्ली में कार्यरत है तामिल कुनिन्दा ने किस तारीख को नोटिस की तामील करवाई इसका अंकन अपनी रिपोर्ट नहीं किया है इस साफ जाहिर है कि तामील कुनिन्दा ने सम्मन पर फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर सम्मन न्यायालय में दिये है।" उक्त संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत उम्मेद के ड्यूटी आदेश पेश किये, जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि ड्यूटी आदेश दिनांक 25.04.2024, 24.04.2024, 23.04.2024, 22.04.2024, 21.04.2024, 20.04.2024, 19.04.2024, 17.04.2024, 16.04.2024, 15.04.2024 के पेश किये गये है, जो कि 10 दिवस के पेश किये है। मूल वाद में तामील के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 19 की तामील हनुमान सहाय पुत्र बोदूराम ने ली है जो कि प्रतिवादी संख्या 15 है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के सम्मन मदललाल पुत्र त्रिलोकचन्द ने प्राप्त किये एवं नोटिस पर हस्ताक्षर किये, जो कि दावा में प्रतिवादी संख्या 2 है एवं उम्मेद के नोटिस पर स्वयं उम्मेद के हस्ताक्षर है, कि रिपोर्ट तामिल कुनिन्दा द्वारा की गई है। अन्य प्रतिवादीगण के सम्मन पर भी नोटिस प्राप्ति व प्राप्तकर्ता का अंकन है। तदानुसार प्रतिवादीगण की तामील प्राप्त होने के उपरांत न्यायालय द्वारा भलीभांति अवलोकन करने के उपरांत ही प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अथवा प्रकरण में बाद सूचना व बाद तामील के प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए संबंधित विवादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार, पक्षकारान को विधिवत सूचित करते हुए, पक्षकारान की मौजूदगी में, राजस्व मण्डल अजमेर के बंटवारा नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशितकिया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वादी द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं करने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार न्यायालय आदेश दिनांक15.05.2024 को अंतिम डिक्री किया गया एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा गया। मूल वाद के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि " निम्न पक्षकरों ने विभाजन

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :– जिसमें भगवान सहाय पुत्र रामलाल उर्फ रामू के नाम का अंकन है'' जिससे जाहिर होता है कि प्रकरण की जानकारी प्रार्थीगण को रही है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट बनने के उपरांत एवं पेश करने के उपरांत भी प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये एवं ना ही अपना पक्ष अथवा जवाब पेश करने हेतु उपस्थित आये एवं ना ही उपस्थित होकर कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर की। वकील अप्रार्थी ने अपनी मौखिक बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता रामलाल उर्फ रामू स्वयं ने आराजी खसरा नंबर 2103 रकबा 0.4951 है0 किता 1 कुल रकबा 0.4951 है0 के हिस्सा 1/3 में से 0.14 है0 भूमि का बेचान, जो कि उक्त विक्रित भूमि उक्त खसरा नंबर के दक्षिण दिशा में है तथा खसरा नंबर 2104/1, 2103/1 के लगती हुई है, कोश्रीमती नीरा सुरेश भार्गव पत्नी श्री सुरेश भार्गव/अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र पूर्व में बेचान किया गया है, उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि वकील अप्रार्थी ने पेश की। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का मुख्य आधार तामील सम्यक रूप से नहीं कराने बाबत् लिया है जबकि वकील प्रार्थी ने यह जाहिर नहीं किया है कि प्रार्थीगण किस प्रकार से व्यथित है ऐसा कोई अनुतोष प्रार्थना–पत्र में जाहिर नहीं किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में मूल वाद बंटवारा का पेश किया गया था, जिसमें नियमानुसार विधिवत कार्यवाही करते हुए बंटवारा किया गया है, न्यायालय हाजा का आदेश किस प्रकार से मौका स्थिति के विपरित एवं न्यायालय के आदेश से प्रार्थीगण किस प्रकार व्यथित है, का स्पष्ट कारण भी वकील प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में मूल वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का विधिवत निस्तारण किया गया है, जिसमें प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार, राजस्व मण्डल अजमेर के बंटवारा नियम 18 से 21 की अनुपालना में बंटवारा किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा उम्मेद सिंह पुत्र रामलाल के ड्यूटी आदेश भी 10 दिवस के पेश किये गये है, जबकि सम्मन प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा द्वारा 28.03.2024 को जारी किये गये है एवं दिनांक 24.04.2024 को तामील होकर प्राप्त हुये है एवं सम्मन तामील पर अन्य प्रतिवादीगण द्वारा सम्मन पर हस्ताक्षर कर नोटिस प्राप्त किये है, इससे जाहिर है कि तामील कुनिन्दा द्वारा विधिवत तामील करवाई गई है, यदि तामील प्रकिया में कोई त्रुटि है तो भी प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये जाकर एवं मौके पर उपस्थित रहकर कुर्रेजात रिपोर्ट बनाई गई है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है कि '' निम्न पक्षकरों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :– जिसमें भगवान सहाय पुत्र रामलाल उर्फ रामू के नाम का अंकन है'' जिससे स्पष्ट जाहिर है कि कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

तहसीलदार शाहपुरा द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान प्रार्थी उस समय मौके पर मौजूद था एवं प्रकरण की जानकारी प्रार्थीगण को रही है, इसके उपरांत भी प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा अपना जवाब एवं पक्ष रखने एवं कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश करने अथवा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करवाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किया गया एवं जानबूझकर प्रकरण में उपस्थित नहीं आये है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में सिर्फ प्रकरण की जानकारी ही काफी है, फिर भी तामील में अनियमितता रही है तो भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान किस्म वाणिज्यिक हो जाने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचनों के फलस्वरूप यह जाहिर होता है किप्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को प्रकरण की प्रारम्भ से ही सम्यक रूप से जानकारी रही है। मूल वाद में वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य जो बंटवारा किया गया है वह विधिसम्मत एवं विधिवत किया गया है, जिसमें किसी भी पक्षकार अथवा सहखातेदार के मध्य बंटवारे में आयी भूमि का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा किया गया है, किसी भी पक्षकार या खातेदार के विधिक अधिकारों का कोई हनन नहीं हुआ है। उक्त बंटवारा कानूनी प्रावधानों के अनरूप किया गया है किसी भी पक्षकार या खातेदार का हित प्रभावित नहीं हुआ है। वकील प्रार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि मूल वाद में जो बंटवारा किया गया है, उससे प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण किस प्रकार से व्यथित हैअथवा निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2024 किस प्रकार से विधि अनुरूप या विधिसंगत नहीं है। तामील कुनिन्दा द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तामील सम्यक रूप से करवाई गई है।अप्रार्थी के हिस्से में आयी भूमि का अप्रार्थी द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण करवा लिया गया है, भू-रूपान्तरण होने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है, जबकि सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। यदि प्रार्थीगण न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2024 से व्यथित है तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो से न्यायालय सहमत है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में कोई बल नहीं होने से एवं युक्तियुक्त कारण नहीं होने से एवं सारहीन होने से प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज योग्य पाया जाता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14/11/2025 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदड़, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला-जयपुर
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.